वेबीनार में दी बौद्धिक संपदा अधिनियम की जानकारी

स्वदेश संवाददाता, भोपाल



शासकीय कला एवं वाणिज्य नवीन महाविद्यालय में बौद्धिक संपदा अधिनियम की मूल बातों को लोगों तक पहुंचाने के लिए वेबीनार का आयोजन किया गया। वेबीनार का शुभारंभ कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य डॉ. राजीव चौबे ने किया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डॉ. अजय भारद्वाज अध्यापक वनस्पति शास्त्र उत्कृष्ट शिक्षा संस्थान द्वारा अपने प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताया कि बौद्धिक संपदा क्या है तथा उनके द्वारा पेटेन्ट, कॉपीराइट एवं अधिनियम के बारे में काफी विस्तार से जानकारी प्रदान की गयी। कार्यक्रम के विशेष वक्ता डॉ. मनीष शर्मा प्राध्यापक अर्थशास्त्र उत्कृष्ट शिक्षा संस्थान भोपाल के द्वारा बताया कि हम लोकल के लिए वोकल या आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो ऐसी स्थिति में उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए बौद्धिक संपदा अधिनियम के अंतर्गत शोध को पेटेंट स्थिति में उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए बौद्धिक संपदा अधिनियम के अंतर्गत की शोध को पेटेंट करवाना किस तरह से उपयोगी एवं महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे अरुणाचल प्रदेश में जनजाति द्वारा औषधीयों पौधों के प्रयोग से चिकित्सा की जाती थी, यह ज्ञान तिब्बत से आया था इन पौधों का वैज्ञानिक परीक्षण करने के बाद वहां की लोकल जनजाति के मुम्पा नाम से इसे पेटेंट करवा कर वह कल करवाया गया इसी प्रकार हमारे महाविद्यालय के प्राध्यापक एवं छात्र अपने आसपास के फैशन संस्कृति एवं संसाधनों का अनुसंधान करके इसका पेटेंट करवा सकते हैं। साथ ही उन्होंने सुझाव दिया कि हमारे समाज में प्रचलित जुगाड़ तकनीक यदि, पर्यावरण मनुष्य या प्राणियों पर नकारात्मक प्रभाव नहीं डालती है तो उसे पेटेंट कर सकते हैं। कार्यक्रम में डॉ. एम एस रघुवंशी, अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा नर्मदा पुरम संभाग ने अधिनियम के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम का संचालन आराधना धुर्वे द्वारा किया गया तथा अतिथियों का आभार डॉ. कलावती कोरी द्वारा व्यक्त किया गया।

"स्वदेश दैनिक" समाचार पत्र दिनांक 6.12.2020